संसद ने एक ऐतिहासिक कानून बनाया तथा भारत सरकार ने जनजातियों एवं परम्परागत वन निवासियों को उनकी पीढ़ियों से चली आ रही ज़मीनों पर अधिकार देकर सदियों के अन्याय को समाप्त किया।

■ भूमि अधिकार ■ लघु वन उत्पाद पर अधिकार ■ सामुदायिक संसाधनों पर अधिकार

भारत निर्माण

चलें नयी आज़ादी की ओर

इस अधिनियम में मौजूदा ऐतिहासिक कब्ज़े को मान्यता दी गई है, और किसी भी वन भूमि का वितरण नहीं किया गया है।

davp 22201/13/0031/0809